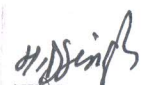


परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत लंगासू-निवाडी-खेत-सिलंगी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.210 हे० सिविल वन भूमि, 1.05 हे० वन पंचायत भूमि, 1.680 हे० आरक्षित वन भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.150 हे० कुल भूमि 3.09 हे० सिविल/वन पंचायत/आरक्षित वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

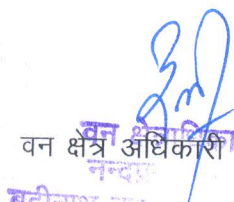
प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अर्न्तगत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

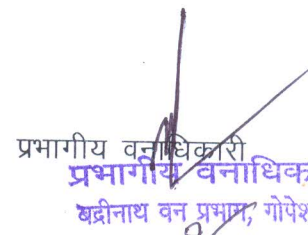

अमान


कनिष्ठ अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर


सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर


अधिशाली अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर


वन क्षेत्र अधिकारी
नन्दल
बद्रीनाथ वन


प्रभागीय वन अधिकारी
प्रभागीय वन अधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।